

22/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने एवं जरिये वादपत्र विद्धो कर खारिज करने पत्रावली का पेश किया। शामिल पत्रावली हो। पत्रावली पेशी तारीख पर ली जाकर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र के निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान् के प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य गांव के मौजिज लोगों द्वारा लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा करवा दिया है। वाद में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। वादी राजस्व वाद आज ही पेशी तारीख पर लिया जाकर जरिये विद्धो खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता वादी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये वादपत्र विद्धो का खारिज का स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफतर हो एवम् नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन